



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 27.09.2025

स्वाट/सर्विलांस व थाना मंडावर पुलिस की संयुक्त टीम ने लूट करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में अवैध शस्त्र, घटना में प्रयुक्त बाइक व छीने गए मंगलसूत्र सहित किया गिरफ्तार ।

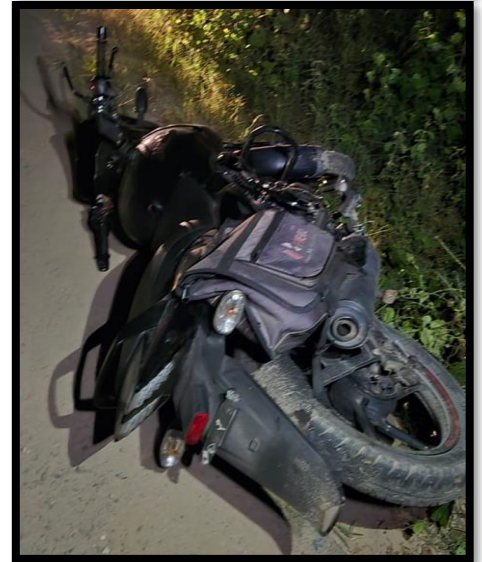
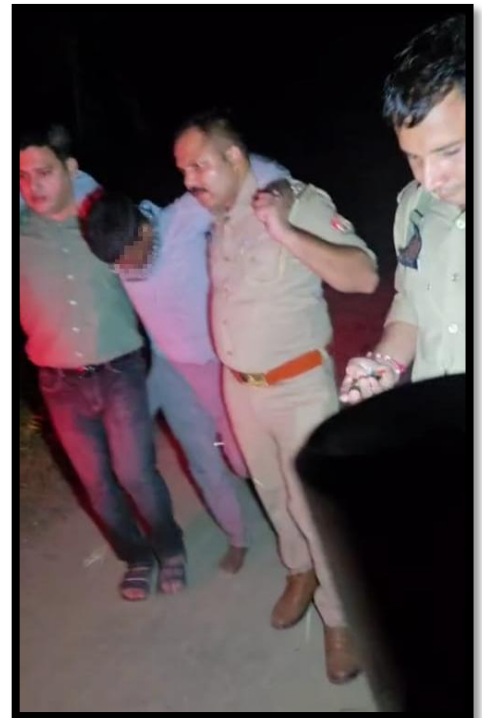
संक्षिप्त विवरण

अवगत कराना है कि आज दिनांक 27.09.2025 को वादिया मोनिका पत्नी रामबहादुर निवासी रामराज व थाना बहसुमा जनपद मेरठ द्वारा सूचना दी गई कि वह अपने पति रामबहादुर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्राम ओसपुर से अपने घर रामराज जा रही थी तो रास्ते में ग्राम बालावाली के पेट्रोल पम्प के पास अचानक पीछे से एक अज्ञात पल्सर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आया और तमन्चा दिखाकर उसके गले से मंगलसूत्र छीन कर भाग गया। दौरान के घटना वादिया के पति रामबहादुर द्वारा मोटरसाइकिल का नम्बर UK08BF-5091 देख लिया गया था।

सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के संबंध में तत्काल कन्ट्रोल रूम को वायरलेस सैट के माध्यम से आसपास के चेकिंग प्वाइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को सूचित कर सक्रियता से सघन चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त घटना के संबंध में तत्काल कार्यवाही करते हुए वादिया की तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 207/25 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही विवरण –

आज दिनांक 27.09.2025 को ही थाना मंडावर पुलिस टीम द्वारा थाना मंडावर/कोतवाली शहर बॉर्डर पर सघन चेकिंग की जा रही



थी। उसी दौरान कन्ट्रोल रूम द्वारा वायरलेस सैट के माध्यम से सूचना दी गई कि एक पल्सर बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति जो कस्बा मंडावर की ओर से बिजनौर शहर की तरफ आ रहा है। जोकि ग्राम बालावाली (गोपालपुर) पेट्रोल पम्प के पास से लूट की घटना से संबंधित हो सकता है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल नाकाबन्दी करते हुए प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति/वाहन को चेक किया जाने लगा।

समय 22.05 बजे चैकिंग के दौरान थाना मंडावर क्षेत्रान्तर्गत मालन नदी के पुल के पास मंडावर की तरफ से एक पल्सर बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया, जोकि पुलिस टीम को देखकर सकपकाता हुआ अपनी बाइक को मोड़कर वापिस भागने का प्रयास करने लगा, इसी दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गयी, तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त ने अपना नाम हिमांशु पुत्र सुशील कुमार निवासी फूलगढ थाना पथरी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड बताया। जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 04 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, एक बाइक पल्सर (बिना नं0 प्लेट) काले रंग की तथा लूटा गया एक मंगलसूत्र (पीली धातु) बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त हिमांशु द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसके द्वारा शाम के समय ग्राम गोपालपुर के पेट्रोल पम्प के पास से बाइक पर सवार दम्पति को तमंचे के बल पर रोककर महिला से मंगलसूत्र लूटकर अपनी पल्सर बाइक (अभियुक्त से बरामद) से फरार हो गया था और पहचान छुपाने के उद्देश्य से रास्ते में ही बाइक की नम्बर हटा दी थी। अब वह किसी कार्य से बिजनौर जा रहा था।

घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मुठभेड की घटना के संबंध में थाना मंडावर पर अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारशुदा अभियुक्त हिमांशु द्वारा पूर्व में भी उत्तराखण्ड व अन्य जगहों पर भी लूट की घटना किया जाना प्रकाश में आया है जिनके संबंध में गहनता से जांच की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

हिमांशु पुत्र सुशील कुमार निवासी फूलगढ थाना पथरी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

बरामदगी विवरण-

1. लूटा गया एक पीली धातु का मंगलसूत्र
2. 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 04 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
3. घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल पल्सर नं0

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 211 / 25 धारा 304(2) 317 (2) बीएनएस थाना कनखल जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

- 2.मु0अ0सं0 350/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली ज्वालापुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड
- 3.मु0अ0सं0 207/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 4.मु0अ0सं0 208/25 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर बिजनौर ।

पुलिस टीम का विवरण –

- 1.निरीक्षक श्री सचिन मलिक प्रभारी स्वाट टीम मय टीम ।
- 2.प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली शहर मय टीम ।
- 3.उ0नि0 श्री सुनील कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम ।
- 4.उ0नि0 सुमित राठी थानाध्यक्ष मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 5.उ0नि0 आदेश कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 6.उ0नि0 पुष्कर मेहरा साइबर थाना जनपद बिजनौर ।
- 7.हे0का0 जोगेन्द्र कुमार सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर ।
- 8.मु0आरक्षी 379 दीपक तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 9.हे0का0 610 सुशील मलिक थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 10.आरक्षी दिलशाद सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट थाना नहतौर

दिनांक 27.09.2025

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 245/25 धारा 333/65(1)/352/351(3) बी.एन.एस.व 5L/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.2025 को वादी ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शादान उर्फ शद्दू पुत्र सलीम निवासी मौ0 पठानो का इमामबाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया तथा विडियो बनाकर इन्टरनेट पर वायरल करने की धमकी दी गई तथा अभियुक्त के परिजनो द्वारा गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 245/2025 धारा 333/65(1)/352/351(3) बी.एन.एस.व 5L/6 पाक्सो अधि0 बनाम अभियुक्त शादान उर्फ शद्दू पुत्र सलीम निवासी मौ0 पठानो का इमामबाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर सहित 06 अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 27.09.2025 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शादान उर्फ शद्दू पुत्र सलीम नि0 मौ0 पठानो वाली मस्जिद इमामबाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

आपराधिक इतिहास अजय कुमार उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 245/2025 धारा 333/65(1)/352/351(3) बी.एन.एस.व 5L/6 पाक्सो अधि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री धीरज सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. है0का0 549 विकास कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. का0 2609 दिनेश कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर
थाना नूरपुर प्रेस नोट**

दिनांक - 27.09.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 095/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधि0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

दिनांक 15.03.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 15.03.2025 को अभियुक्तगण 1. शिवा सैनी पुत्र ब्रजपाल सैनी 2. ब्रजपाल सैनी पुत्र नामालूम 3. यशोदा पत्नी ब्रजपाल सैनी 4. जीतु पुत्र ब्रजपाल सैनी 5. मीनाक्षी पुत्री ब्रजपाल सैनी समस्त निवासीगण ग्राम मिर्जापुर ढीकली थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताडित किया गया जिससे परेशान होकर उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है उक्त के सम्बन्ध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 95/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 27.09.2025 को थाना नूरपुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ब्रजपाल सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर ढीकली थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व अभियुक्ता यशोदा पत्नी ब्रजपाल सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर ढीकली थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. ब्रजपाल सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर ढीकली थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. यशोदा पत्नी ब्रजपाल सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर ढीकली थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री रजत राणा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.म0का0 366 लता बघेल थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-- थाना हीमपुर दीपा

दिनांक:- 27.09.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त को को एक अवैध तमंचा मय जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण -

जनपद मे अवैध शस्त्रो के निर्माण/बिक्री/परिवहन व अपने साथ अवैध शस्त्रो को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त शनि पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार



किया गया । बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 111/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता

1. शनि पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 690/2024 धारा 303(2), 317(2), 345(3) BNS थाना चाँदपुर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 108/2024 धारा 110, 115(2), 191(2), 191(3), 351(2), 352 BNS थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
3. मु0अ0सं0 0180/2024 धारा 303(2), 317(2) BNS थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
4. मु0अ0सं0 111/2025 धारा 3/25 A.Act थाना हीमपुर दीपा बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. उ0नि0 जगत सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. हे0का0 668 अमित वर्मा थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
3. का0 1980 फैयाज थाना हीमपुर दीपा बिजनौर

प्रेस नोट – मिशन शक्ति फेज-5.0

दिनांक -27.09.2025

थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा चांदपुर में मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत भगवन्त पब्लिक स्कूल शकुन्तला देवी महाविद्यालय में महिलाओं/ छात्राओं को महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जागरूक करते हुए हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी दी गयी।

आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा चांदपुर स्थित भगवन्त पब्लिक स्कूल शकुन्तला देवी महाविद्यालय (डिग्री कॉलिंग की लगभग 100 छात्राओं ने प्रतिभाग किया) के साथ "मिशन शक्ति फेज-5.0" के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं जागरूकता संबंधी विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत महिला हेल्पलाइन नंबरों — 1090 (महिला हेल्पलाइन), 181 (महिला शक्ति हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), तथा 1930 (साइबर हेल्पलाइन) की जानकारी साझा की गई। साथ ही, साइबर अपराधों से बचाव हेतु उपयोगी सुझाव एवं सतर्कताएँ भी बताई गईं।

क्षेत्राधिकारी चांदपुर द्वारा सभी महिलाओं/छात्राओं से अपील की गई कि छेड़छाड़, उत्पीड़न या किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में पीड़ित तुरंत पुलिस से संपर्क करें और बिना किसी संकोच के अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आपके नाम पते को गोपनीय रखा जायेगा। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी चांदपुर, उ0नि0 अल्पना थाना चांदपुर व महिला आरक्षी प्रीति तोमर थाना चांदपुर आदि शामिल रहे।

अभियान के दौरान महिला छात्राओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा और नारी सुरक्षा संबंधी जागरूकता दी गई। छात्राओं को साइबर अपराध, सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के उपाय, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही उन्हें साइबर धमकी या उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने और सहायता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन व ऑनलाइन पोर्टल्स की जानकारी दी गई।

साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना आदि की जानकारी भी प्रदान की गई।

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर:

- 1090 : वीमेन पावर लाइन
- 181 : महिला हेल्पलाइन
- 1076 : मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 112 : पुलिस आपातकालीन सेवा
- 102 : गर्भवती महिला व नवजात शिशु एम्बुलेंस सेवा
- 108 : सामान्य एम्बुलेंस सेवा
- 1098 : चाइल्ड लाइन
- 101 : अग्निशमन सेवा
- 1930 : साइबर क्राइम हेल्पलाइन







मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

5.0



थाना मण्डावली महिला मिशन शक्ति हैल्प लाईन नम्बर- 01341297905



मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान प्रेस नोट – थाना मण्डावली

थाना मण्डावली क्षेत्रान्तर्गत मिशन शक्ति फेस 5.0 के अन्तर्गत राजकीय इंटर कॉलेज भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर पर दौड प्रतियोगिता व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

आज दिनांक 27.09.2025 को "मिशन शक्ति" के पंचम चरण के अन्तर्गत थाना मण्डावली क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर में "मिशन शक्ति जागरूकता अभियान" के अन्तर्गत दौड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलम्बन की भावना जागृत करना रहा।

इस अवसर पर छात्राओं एवं उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी दी गयी:-

- 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1090 वूमेन पावरलाइन
- 181 वूमेन हेल्पाइन
- 112 पुलिस आपातकालीन सेवा
- 102 गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस सेवा
- 108 सामान्य एम्बुलेंस सेवा
- 1098 चार्ज्ड लाइन सेवा
- 101 अग्निशमन सेवा
- 1930 साईबर हेल्पलाइन

प्रतिभागियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने तथा नारी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की तत्परता के विषय में जागरूक किया गया।

❖ कार्यक्रम का विवरण

1. स्थान:- राजकीय इंटर कॉलेज भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
2. आयोजक विभाग- शिक्षा विभाग, राजकीय इंटर कॉलेज भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3. कार्यक्रम थीम:- महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों, साईबर अपराध की जानकारी व सुरक्षा हेल्पलाइन 1930 के बारे में जागरूक किया जाना।
4. उपस्थिति:- लगभग 500 छात्राएँ व 525 छात्र एवं 10 अध्यापिकाएँ व 15 अध्यापक

❖ कार्यक्रम में सम्मिलित पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण

1. श्री रामप्रताप सिंह, थानाध्यक्ष थाना मण्डावली, बिजनौर
2. व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना मण्डावली, बिजनौर
3. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना मण्डावली, बिजनौर
4. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना मण्डावली, बिजनौर
5. हे0का0 548 कृष्ण कुमार थाना मण्डावली, बिजनौर
6. हे0का0 820 कालूराम थाना मण्डावली, बिजनौर
7. का0 249 मोनू थाना मण्डावली, बिजनौर

8. का0 2585 ब्रिजेश थाना मण्डावली ,बिजनौर
9. म0का0 1338 उमेश थाना मण्डावली ,बिजनौर
10. म0का0 1763 पूजा थाना मण्डावली ,बिजनौर
11. म0का0 714 मानसी थाना मण्डावली ,बिजनौर
12. म0का0 792 स्वाति थाना मण्डावली ,बिजनौर
13. म0का0 2615 प्रिया थाना मण्डावली ,बिजनौर

राजकीय इंटर कॉलेज भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

राजकीय इंटर कॉलेज भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर पर दौड प्रतियोगिता मे प्रथम,द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक व बालिकाओ का विवरण -

बालिकाये-

- 1.प्रथम स्थान-वंशिका कक्षा-10B
- 2.द्वितीय स्थान-पलक कक्षा-9C
- 3.तृतीय स्थान-प्राची कक्षा-10B

बालक-

1. प्रथम स्थान-आशीष कक्षा-12C
- 2.द्वितीय स्थान-सत्यम कक्षा-11C
- 3.तृतीय स्थान-श्रीकांत कक्षा-11C







जनपद बिजनौर

प्रेसनोट – मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 दिनांक 27.09.2025

थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बढापुर में मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला एवं स्कूली छात्राओं की सुरक्षा हेतु जागरूकता रैली एवं विशेष अभियान का आयोजन किये जाने संबंधी ।

आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बढापुर स्थित “शिशू कलां निकेतन स्कूल” की छात्राओं(कक्षा 1 से 10 तक की लगभग 150 छात्राओं ने प्रतिभाग किया) के साथ "मिशन शक्ति फेज-5.0" के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं जागरूकता संबंधी विशेष अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जागरूकता रैली से हुई, जिसमें छात्राओं, शिक्षकों एवं पुलिस टीम ने भाग लेकर महिला सुरक्षा, सम्मान और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नारे लगाते हुए जनमानस को जागरूक किया तथा यह रैली क्रमशः बढापुर क्षेत्रान्तर्गत शिशू कलां निकेतन स्कूल से शुरु होकर , कुनजेटा तिराहा, कस्बा बढापुर, भजडा वाला, मौ0 अम्बेडकर पार्क को होते हुए शिशू कलां निकेतन स्कूल पर सम्पन्न हुई। यह रैली लगभग 03 किलोमीटर क्षेत्र में निकाली गई।

अभियान के तहत महिला हेल्पलाइन नंबरों — 1090 (महिला हेल्पलाइन), 181 (महिला शक्ति हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), तथा 1930 (साइबर हेल्पलाइन) की जानकारी साझा की गई। साथ ही, साइबर अपराधों से बचाव हेतु उपयोगी सुझाव एवं सतर्कताएँ भी बताई गईं।

पुलिस अधिकारियों ने अपील की कि छेड़छाड़, उत्पीड़न या किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में पीड़ित तुरंत पुलिस से संपर्क करें और बिना किसी संकोच के अपनी शिकायत दर्ज कराएं। कार्यक्रम में थाना बढापुर के मुख्य आरक्षी प्रवेन्द्र, मुख्य आरक्षी आशीष, महिला आरक्षी अंजू रानी व महिला आरक्षी प्रियंका शामिल रहे।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा सभी महिला पुलिस कर्मियों को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर अधिक से अधिक महिलाओं तक सम्पर्क स्थापित कर उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनपद बिजनौर पुलिस का यह प्रयास है कि इस प्रकार के जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज में महिला सुरक्षा, आत्मबल और साइबर सुरक्षा के प्रति सजगता का सशक्त संदेश फैलाया जा सके।



थाना नगीना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गुमशुदा 02 बच्चों को सकुशल बरामद करने संबंधी ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.09.2025 को थाना नगीना पुलिस को डायल 112 के माध्यम से कस्बा नगीना के मोहल्ला लुहारी सराय निवासी अरहान (उम्र करीब 10 वर्ष) पुत्र तनवीर एवं शोएब (उम्र करीब 12 वर्ष) पुत्र नसीम की गुमशुदगी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई ।

सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए मौके पर पहुँचकर जांच की गई । जानकारी में ज्ञात हुआ कि दोनों बच्चे समय करीब 15:00 बजे घर से खेलने के बहाने बिना बताए निकले थे । मोहम्मद ताल्हा पुत्र असीम निवासी उपरोक्त ने दोनों बच्चों को समय लगभग 18:00 बजे रेलवे स्टेशन नगीना पर देखा था तथा पुलिस टीम द्वारा चेक की गयी रेलवे स्टेशन नगीना की सीसीटीवी फुटेज (समय 17:57 बजे) में भी उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई ।

गुमशुदा बच्चों की सुरक्षित बरामदगी हेतु पुलिस टीम गठित कर सतत प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया । प्रारंभिक जानकारी में यह भी ज्ञात हुआ कि अरहान व शोएब उपरोक्त अपने माता-पिता की डाँट से नाराज होकर घर से चले गए थे । वर्तमान में दोनों बच्चे सुरक्षित उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं ।

थाना नगीना पुलिस की यह मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अन्तर्गत नारी एवं बाल सुरक्षा, त्वरित पुलिस रिस्पॉन्स और सक्रिय प्रयासों की दिशा में एक सफल कार्यवाही है ।



बिजनौर पुलिस सभी माता-पिता और अभिभावकों से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की देखभाल और सतर्कता बनाए रखें तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या 112 नंबर से संपर्क करें ।